# कीट विज्ञान विभाग : कृषि महाविद्यालय

## गो.ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर

**पंतनगर। 18.07.2020 |** देश के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में टिड्डी दलों का लगातार प्रकोप हो रहा है। उत्तराखण्ड से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे पीलीभीत व बरेली में विगत दिनों से टिड्डियों का प्रकोप हो रहा था। कल की प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड के ऊधम सिंह नगर और चम्पावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में टिड्डी दलों का प्रवेश हो गया है। चम्पावत जिले के थपलियाल खेड़ा और ऊधम सिंह नगर में खटीमा व किच्छा क्षेत्र के सुनपर, वीरूनगला, दरऊ, छिनकी, गिद्धपुरी, आजादनगर, सैंजना आदि सीमावर्ती गावों में टिड्डी दल पहुँच गया है। इन टिड्डी दलों के द्वारा गन्ना, धान, मक्का व सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। अतः राज्य के समस्त जिलों के किसानों तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों को इसके आक्रमण से सतर्क रहने तथा इनके नियंत्रण हेतु पहले से ही समुचित तैयारी रखने की आवश्यकता है।

टिड्डियां एक समय में अत्यधिक मात्रा में वनस्पतियों का भक्षण करती हैं। ये इनके मार्ग में आने वाली लगभग समस्त वनस्पतियों का भक्षण करती हैं। इनके आक्रमण से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अतः इससे बचाव हेतु टिड्डी दलों के दिखाई देने पर किसानों को अत्यधिक शोर करके (ड्रम व टिन बजाकर) तथा खेत में धुआँ करके इनको फसलों पर उतरने से रोकना चाहिए। साथ ही किसानों द्वारा इन टिड्डी दलों के फसलों पर नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरीफॉस 20 ई.सी.@2.4 मि.ली. प्रति ली. या क्लोरपाइरीफॉस 50 ई.सी.@1.0 मि.ली. प्रति ली. या डेल्टामेथ्रिन 2.8 ई.सी.@1.0 मि.ली. प्रति ली. या फिप्रोनिल 5 एस.सी.@0.25 मि.ली. प्रति ली. या फिप्रोनिल 2.92 एस०सी०@0.45 मि.ली. प्रति ली. या लैम्ब्डा साइहैलोथ्रिन 5 ई०सी०@1.0 मि.ली. प्रति ली. या लैम्ब्डा साइहैलोथ्रिन 10 डब्ल्यू.पी.@0.5 ग्रा. प्रति ली. या मैलाथियान 50 ई.सी.@3.7 मि.ली. प्रति ली. या मैलाथियान 25 डब्ल्यू.पी.@7.4 ग्रा. प्रति ली. का प्रतिबन्धात्मक अथवा रात्रि से सुबह तक टिड्डी दलों के प्रवासों पर गहन छिड़काव की संस्तुति की गयी है, ताकि टिड्डी दल को उसके प्रवास स्थल पर ही समाप्त किया जा सके।

किसानों को अगर उनके क्षेत्र में कहीं पर टिड्डी दल का प्रकोप दिखता है तो उन्हें कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड के फोन नं० 18001800011 पर अथवा उस जिले के मुख्य कृषि अधिकारी को तत्काल सूचित करें।